भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4758

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

4758. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके परिवारों को स्मार्ट कार्ड समय पर उपलब्ध कराए जाएं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अस्पताल में भर्ती होने के खर्च और पहले से मौजूद बीमारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत शामिल किए जाने का लाभ लाभार्थियों तक पूरी तरह से पहुंचाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को लाभ पहुंचाने में कौन-कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या के संबंध में कोई अद्यतन आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वित्तपोषण के तरीके को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से कोई नई नीति शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दिनांक 23.09.2018 को शुरू की गई थी जिसे वर्ष 2008 में शुरू की गई तत्कालीन मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को शामिल करते हुए शुरू किया गया था।

आयुष्मान कार्ड निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत पूरे साल पंजीकरण कराया जा सकता है। यह नामांकन मोबाइल फोन एप्लीकेशन (आयुष्मानऐप), वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) या नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। उपर्युक्त एप्लीकेशन में स्वयं पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को कागज आधारित या पीवीसी आधारित आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) 11 राज्यों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश) में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) योजना के साथ एबी-पीएमजेएवाई के अभिसरण को भी लागू कर रहा है। बीओसीडब्ल्यू श्रेणी से संबंधित कोई भी पात्र लाभार्थी पोर्टेबिलिटी सेवाओं सहित एबी पीएम-जेएवाई के तहत लागू स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकता है।

(ख): नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) में 27 मेडिकल स्पेशियलिटी में 1,961 पैकेज शामिल हैं, जो पीएमजेएवाई लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी पूर्व-मौजूदा स्थितियों को पहले दिन से ही कवर किया जाता है और सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली पूर्व-निर्धारित प्रक्रियाओं की एक सूची शामिल होती है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि लाभार्थियों को अपनी जेब से कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज बहुत व्यापक हैं, जिसमें निदान, चिकित्सा-पूर्व, प्री-एनेस्थेटिक जांच और वर्तमान बीमारी से संबंधित 3 दिनों तक के परामर्श सहित अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्च शामिल हैं और पैकेज की राशि में इस योजना के तहत 15 दिनों तक के दवा के खर्च सहित अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च भी शामिल हैं।

(ग): योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिन्हित मुद्दों का विवरण तथा किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

एबी-पीएमजेएवाई के लिए आईटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, कई प्रमुख पहलों को लागू किया गया है जैसे कि संशोधित लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस 2.0) जिससे स्वयं/सहायता प्राप्त सत्यापन में मदद मिलती है, आयुष्मान मोबाइल एप्लिकेशन लाभार्थी सत्यापन और कार्ड निर्माण को फेस-ऑथ तकनीक का उपयोग करके सक्षम बनाता है, जो डोर-टू-डोर आउटरीच में सहायता करता है। लेन-देन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस 2.0) पंजीकरण से लेकर दावा प्रबंधन तक अस्पताल प्रक्रियाओं को बेहतर बनाती है। उपयोगकर्ता प्रबंधन पोर्टल (यूएमपी) पीएमजेएवाई एप्लीकेशनों तक निर्बाध पहुँच के लिए एकीकृत लॉगिन प्रणाली प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पोर्टल, डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक समाधान रीयल टाइम निगरानी, प्रवृत्ति विश्लेषण और धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद करता है, जिससे योजना कार्यान्वयन मजबूत होता है।

एनएचए आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान और व्यापक आईईसी अभियान के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

(घ): दिनांक 01.03.2025 तक, एबी-पीएमजेएवाई के तहत 1.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 8.9 करोड़ से अधिक अस्पताल भर्ती को अधिकृत किया गया है।

(ङ): एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी लागत को वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पारदर्शी और पूरी तरह से मांग आधारित है। एनएचए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर योजना कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी करता है। एनएचए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक नई निधि जारी करने से पूर्व उन्हें पहले से प्राप्त धनराशि के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

*****